

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

## प्रेस-नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान परिषद के 13 सदस्यों, जिनका कार्यकाल दिनांक 06 जुलाई, 2016 को समाप्त हो रहा है, के कारण होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिए विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2016 कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है:-

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (1) | नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक-                    | 24 मई, 2016 (मंगलवार)                     |
| (2) | नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-                        | 31 मई, 2016 (मंगलवार)                     |
| (3) | नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-                    | 01 जून, 2016 (बुद्धवार)                   |
| (4) | नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-                           | 03 जून, 2016 (शुक्रवार)                   |
| (5) | मतदान का दिनांक-                                       | 10 जून, 2016 (शुक्रवार)                   |
| (6) | मतदान का समय   | पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक |
| (7) | मतगणना का समय-   | 10 जून, 2016 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे से  |
| (8) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा। | 13 जून, 2016 (सोमवार)                     |

लखनऊ:

दिनांक: 13.05.2016

(अरुण सिंघल)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 831(1)/सी0ई0ओ0-2-तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13/5/16

(रमाकान्त पाण्डेय)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।